वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू0वि0वि0/डी0एस0डब्ल्यू/79/2024–25 अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध दिनांक : 17.01.2025

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा दिनांक 16.01.2025 को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षणिक सत्र 2024–25 का आवेदन फार्म भरने हेतु जारी की गयी संशोधित समय–सारणी के अनुसार पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं दिनांक 16.01.2025 से दिनांक 30 जनवरी, 2025 तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन फार्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के 02 दिन के अन्दर, आवेदन पत्र की हार्डकापी, संलग्न प्रोफार्मा को पूरित कर वांछित संलग्नकों के साथ अपने–अपने विभाग में जमा किया जाना है।

2–सभी विभागाध्यक्षों से यह निवेदन है कि पूर्व की भाँति ही, विभाग में प्राप्त आवेदन पत्रों की मूल प्रति समस्त वांछित संलग्नकों सहित यथास्थान प्रमाणित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 01 जनवरी, 2025 साय 04:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे दिनांक 02 जनवरी, 2025 तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्मों को ऑनलाइन अग्रसारण किया जा सके।

3–सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासन ने दिनांक 17.01.2025 साय 04:00 से बायोमैट्रिक आथेटिकेशन की अनिर्वायता को इस वर्ष समाप्त कर दिया है। सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को अब अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में उपस्थित होकर बायोमैट्रिक आथेटिकेशन हेतु फिगंर लगाने की आवश्यकता नहीं है उनके छात्रवृत्ति आवेदन फार्म बिना बायोमैट्रिक आथेटिकेशन के फार्वड कर दिये जायेगें।

17/01/25

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–

1–समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रम को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने विभाग/संकाय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें।
2–निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3–वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
4–उप कुलसचिव छात्रवृत्ति के सूचनार्थ।
5–वेब प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना को वेब–साइट पर अविलम्ब अपलोड करने का कष्ट करें।
6–अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण